सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फ़ाइल सं. NCST/DEV-2216/JH/50/2023-ESDW-RU-IV   दिनांक :20.03.2025

सेवा में,

उपायुक्त,
जिला-रांची,
कमरा नंबर-504, कचहरी चौक,
ब्लॉक – बी,
राँची-834001, झारखण्ड
ई:मेल- dc-ran@nic.in

विषय: भूमि विवाद के संबंध मे श्रीमती निलु देवी पत्नि श्री अशोक कुमार, आशाश्री गार्डेन, सुमित्रा सदन, थाना – बरियातु, जिला – रांची, झारखण्ड का अभ्यावेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 28.02.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गए अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट की गई कार्रवाई / की रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

संलग्न:यथोपरि।

भवदीय

(आर.के. दुबे / R.K. Dubey)
उप निदेशक/ Deputy Director
Email ID : rk.dubey@ncst.nic.in

प्रति, सिटिंग मे उपस्थित होने केलिए सूचनार्थ:

श्रीमति निलु देवी
पत्नि श्री अशोक कुमार,
आशाश्री गार्डेन, सुमित्रा सदन,
थाना – बरियातु, जिला - रांची,
झारखण्ड
फोन नं .9136022433

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं. NCST/DEV-2216/JH/50/2023-ESDW

प्रार्थी के जमीन पर पड़ोसी रंजीत सोनी एवं मनोज सोनी के द्वारा प्रस्तावित रास्ता बंद कर देने के संबंध में श्रीमती निलु देवी पत्नि श्री अशोक कुमार, आशाश्री गार्डेन, सुमित्रा सदन, थाना-बरियातु, जिला-रांची, झारखण्ड की शिकायत में आयोग की माननीय सदस्य (डॉ. आशा लकड़ा) के समक्ष दिनांक 28.02.2025 को हुई सिटिंग /सुनवाई का कार्यवृत।

सिटिंग /सुनवाई की दिनांक	:	28.02.2025 को 03:40 बजे
सिटिंग /सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी	:	अनुलग्नक-। के अनुसार।

मामले में शिकायत दिनांक 04.09.2023 श्रीमति निलु देवी से आयोग में प्राप्त हुई, जिसमे उन्होंने बताया है कि वह और उनके परिवार के सदस्य अनुसूचित जनजाति 'करमाली जाति' के हैं । उन्होंने बताया कि ग्राम मोरहाबादी में 02 कट्ठा 08 छटांक जमीन की रजिस्ट्री 04/01/2007 को अशोक कुमार(शिकायतकर्ता के पति) के नाम से हुई थी और वे इस पर शांतिपूर्ण कब्जा बनाए हुए हैं। इसी भूमि पर बृजमोहन राम ने भी 05 कट्ठा 08 छटांक जमीन खरीदी थी। इन दोनों खरीदीगी पट्टा को मिलकर कुल खरीदीगी भूमि की रकबा 05 कट्ठा जमीन प्रार्थी के कब्जे में है। मुद्दा यह है कि रजिस्ट्री के समय भूमि पर प्रस्तावित 10 फीट रास्ता को रंजीत सोनी ने शौचालय बनाकर बंद कर दिया, जिससे विवाद शुरू हुआ। निलु देवी ने प्रशासन, पुलिस और संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में सूचना दी, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। दिनांक 27/08/2023 को आपसी वार्ता के दौरान विपक्षी रंजीत सोनी और मनोज सोनी ने जातिसूचक गालियाँ दीं और विवाद बढ़ गया, जिससे स्थिति हिंसात्मक हो गई। निलु देवी का कहना है कि यह मामला अनुसूचित जनजाति की जमीन का है और जानबूझकर आपराधिक मामले में बदला जा रहा है।

2. आयोग द्वारा इस संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगे जाने हेतु उपायुक्त, जिला रांची, झारखंड को नोटिस दिनांक 18.09.2023.भेजा गया।

3. आयोग के नोटिस के संदर्भ में उत्तर/रिपोर्ट संतोषजनक न प्राप्त होने पर आयोग द्वारा दिनांक 27.08.2024 को सिटिंग/सुनवाई की गई। तदनुसार, संबंधित प्राधिकारियों को सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत भेजा गया, जिसके संदर्भ में कोई कार्यवाही रिपोर्ट आयोग को प्राप्त नहीं हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग की माननीय सदस्य (डॉ. आशा लकड़ा) द्वारा दिनांक 31.01.2025 को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की गई, तदनुसार संबंधित प्राधिकारियों को सिटिंग/सुनवाई का नोटिस भेजा गया।

4. सुनवाई के दौरान, जिला रांची के जिलाधिकारी की ओर से सहायक कलेक्टर, जिला रांची, झारखंड आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। सहायक कलेक्टर ने आयोग को अवगत कराया कि जिला प्रशासन द्वारा आरोपी और

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
Member
Government of India
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली / New Delhi

6th Floor, 'B' Wing Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003, Website: www.ncst.nic.in
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free: 1800117777

शिकायतकर्ता को मामले में कार्रवाई हेतु दो बार पत्र जारी किए गए थे, जिसमें दोनों पक्षों को विवादित रास्ते से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था। शिकायतकर्ता ने अपने सभी दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए, जबकि आरोपी एक बार भी जिला प्रशासन के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। सहायक कलेक्टर ने आगे बताया कि मामले में एक बार और पत्र जारी कर आरोपी को अंतिम अवसर दिया जाएगा, जो न्यायसंगत कार्रवाई होगी। अब तक दोनों पक्षों को दो अवसर दिए जा चुके हैं, और यह तीसरा अवसर होगा, जिसके बाद शिकायतकर्ता के प्रस्तावित रास्ते पर हुए अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता को उपस्थित होने से छूट प्रदान की गई।

5. मामले में सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है :-

I. जिला प्रशासन मामले में जल्द से जल्द अपनी प्रक्रिया पूरी कर शिकायतकर्ता के प्रस्तावित रास्ते पर हुए अतिक्रमण को हटाए तथा आयोग के इस कार्यवृत्त के प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर आयोग को इसकी सूचना प्रदान करे।

II. मामले में पूर्व में पर्याप्त विलंब हो चुका है, जिसे ध्यान में रखते हुए, न्यायहित में इसका शीघ्र समाधान किया जाना आवश्यक है।

III. आरोपियों का आचरण संतोषजनक नहीं है, जैसा कि शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया है कि पूर्व में इसी विवाद के चलते उसके साथ मारपीट की जा चुकी है, जिससे उसकी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता उत्पन्न होती है। अतः, जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि शिकायतकर्ता पर किसी भी प्रकार का दबाव न डाला जाए और उसकी सुरक्षा बनी रहे।

आशा लकड़ा
19/03/2025

(डॉ. आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/DEV-2216/JH/50/2023-ESDW-RU-IV

Sitting to be held on **28.02.2025 at 03:40 P.M** - भूमि विवाद के संबंध में श्रीमती निलु देवी पत्नि श्री अशोक कुमार, आशाश्री गार्डेन, सुमित्रा सदन, थानाबरियातु-, जिलारांची-, झारखण्ड का अभ्यावेदन

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Surat Singh Joint Secretary		
3.	Shri Rahul Investigator		
4.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
5.	Shubhakar L. Soren		[signature]
6.			
7.			
II	**Officers from O/o Deputy Commissioner,** Ranchi		
1.	Ram narayan Singh. A.C. Ranchi.		[signature] 28.2.25
2.			
3.			
III	**Petitioners**		
1.			
2.			